



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

21 वैशाख 1948 (श०)
(सं० पटना 460) पटना, सोमवार, 11 मई 2026

मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग
(निबंधन)

अधिसूचना
8 मई 2026

सं० IV/छूट-12-07/2026-2628—भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा-9 की उप-धारा (i) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल पीरपैती (भागलपुर) में थर्मल पावर परियोजना के अधिष्ठापन हेतु अधिग्रहित 1020.60 एकड़ भूमि 33 (तैतीस) वर्षों के लिए लीज पर अंतरित किये जाने संबंधी दस्तावेज के निबंधन पर प्रभार्य मुद्रांक शुल्क की शत-प्रतिशत छूट प्रदान करते हैं।

2. यह तुरन्त के प्रभाव से प्रवृत्त होगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अजय यादव,
सरकार के सचिव।

8 मई 2026

सं० IV/छूट-12-07/2026-2628—उपर्युक्त अधिसूचना का निम्नलिखित अंग्रेजी अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अधीन उक्त राज्यादेश का अंग्रेजी भाषा में प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
अजय यादव,
सरकार के सचिव।

The 8th May 2026

No.- IV/छूट-12-07 / 2026-2628— In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (i) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899, the Governor of Bihar is pleased to exempt fully, the stamp duty, chargeable on registration of lease document related to transfer of 1020.60 acres of land for Installation of a Thermal Power Project at Pirpainti, Bhagalpur for 33(Thirty three) years.

2. It shall come into force with immediate effect.

**By the Order of the Governor of Bihar,
AJAY YADAV,
Secretary to the Government.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 460-571+500-डी0टी0पी0।
Website: <https://egazette.bihar.gov.in>